दिनांक 08.11.2023 को मंडल आवास समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

सर्व (श्री)			सर्व (श्री)		
1.	योगेश कुमार	अमरेप्र-I	8.	रविन्द्र कुमार राज	मइं (मु0)
2.	दीपक राज राय	मकाधि (प्रभारी)	9.	ओमप्रकाश	मविप्र
3.	अभिषेक कुमार	वमसिदूइं	10.	जय प्रकाश	समविइं(सामान्य)
4.	मनीष सौरभ	वमपचाप्र	11.	अजय कुमार	ससुआ
5.	इंद्रेश कुमार	वमइं (स0)	12.	अभिषेक कुमार	सकाधि-I
6.	पवन नाग	वमविइं (टीआरओ)	13.	एस0सी0त्रिवेदी	मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू
7.	अभिषेक कुमार	वमविइं (टीआरडी)	14.	संतोष कुमार	मंडल सचिव, AISCTREA

सर्वप्रथम मकाधि (प्रभारी) के द्वारा अध्यक्ष-सह-अमरेप्र-I, उपस्थित शाखाधिकारी, मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, मंडल मंत्री/एआईएससीटीआरईए तथा अन्य प्रतिभागी का कैलेण्डर वर्ष 2023 के तृतीय मंडल आवास समिति की बैठक में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया।

एस0सी0त्रिवेदी, मंडलमंत्री/ ईसीआरकेयू के द्वारा अपने संबोधन **में** यह रेखांकित किया गया कि हाल के दिनों में यह संज्ञान में आया है कि मंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों में कुछ प्राधिकारियों के द्वारा आवास समिति की बैठक के बिना ही रेल आवासों का आवंटन कर दिया जाता है, जो निर्धारित पद्धति से इतर है। यह उल्लेखनीय है कि मंडल के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों/यूनिटों हेतु आवास समिति गठित है, जिसके द्वारा आवास का आवंटन किया जाना नियमसंगत है। अतएव, बिना संबंद्ध आवास समिति की बैठक के आवंटित आवासों को अनाधिकृत मानते हुए कथित आवंटन को रद्द समझा जाना चाहिए। यदि, स्टेशन/यूनिट के अंतर्गत आवास समितियों के द्वारा आवंटित आवास के संबंध में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि या प्राधिकारी की मनमानी या किसी अन्य कारणों से विवाद की स्थिति में प्रकरण में अंतिम निर्णय मंडल आवास समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री त्रिवेदी के द्वारा यह सूचित किया गया कि कुछ स्टेशनों पर रेल आवासों के पुनर्निर्माण या अन्य कारणों से मौजूदा रेल आवासों को ध्वस्त करने के संबंध में सम्यक पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, जिसके कारण कर्मचारियों को असुविधा होती है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व से यह निर्णित है कि मौजूदा रेल आवासों को ध्वस्त करने के पूर्व उक्त रेल आवास में रहने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, श्री त्रिवेदी के द्वारा यह भी बताया गया कि मंडल में जितने भी नए आवासों का निर्माण होता है, का पूल निर्धारण मंडल आवास समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। यह भी सूचित किया गया कि हाजीपुर में अनेकों रेल आवास का निर्माण हुआ है, परंतु इसके पूल के निर्धारण हेतु मंडल आवास समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री त्रिवेदी के द्वारा यह भी बताया गया कि जेनरल पूल के आवास का आवंटन एवं प्रक्रिया पूर्व की भांति कार्मिक विभाग के द्वारा की जानी चाहिए।

श्री संतोष कुमार, मंडल मंत्री, एआईएससीटीआरईए के द्वारा अपने संबोधन के दौरान सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया तथा इस पर जोर दिया गया कि रेल आवासों का आवंटन संबंधित आवास समिति के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई:

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
13/23	**बिना आवास समिति के आवास आंवटन के संबंध में:** प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बिना आवास समिति की बैठक किये सीधें आवासों का आवंटन हो रहा है एवं वरियता नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। अतः युनियन मांग करती है कि बिना	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आवास का आवंटन संबंधित आवास समिति के माध्यम से ही कराया जाए। आवास आवंटन समिति की संस्तुति के बगैर आवंटित आवास को रद्द समझा जाएगा।

	आवास कमिटि के बैठक किये बिना आवासों का आंवटन नहीं किया जाए।	

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
14/23	सोनपुर रेलवे आवासों की जर्जर स्थिति के संबंध में। सोनपुर के रेलवे आवास काफी जर्जर है एवं छत गिर रहें है। कभी भी बड़ी दुर्धटना हो सकती है। उदाहरण स्वरूप - 261/ए माईक्रोवेव कॉलोनी, सोनपुर के आवास को देखा जा सकता है जिसके छत गिरने से कर्मचारी की माता घायल हो गई । अतः युनियन मांग करती है कि उक्त आवासों को यथाषीघ्र मरम्मत कराया जाय जिससे कर्मचारी भयमुक्त होकर रह सके।	यह निर्णय लिया गया कि ऐसे आवास जो लंबे समय से रिक्त रेल आवासों को जेनरल पुल में स्थानांतरण के पूर्व संबंधित संपदा अधिकारी के द्वारा इस आशय के सत्यापन कि उक्त आवास आवंटन एवं रहने योग्य है, के उपरांत ही इन आवासों को जेनरल पुल में स्थानांतरण पर विचार किया जाए तथा ऐसे आवास जो रहने लायक नहीं है को परित्यक्त घोषित किया जाए।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
15/23	स्टेशनों के नव निर्माण एवं परित्यक्त आवासों के एवज में नये आवास निर्माण के संबध में। ऐसा देखा जा रहा है कि स्टेषनों के नवनिर्माण (जैसे मुजफ्फरपुर के आवास) बड़ी संख्या में आवासों को तोड़ा जा रहा है एवं बड़ी संख्या में विभिन्न स्टेशनों पर आवास परित्यक्त किये जा रहे है। लेकिन उसके बदले नये आवासों का निर्माण नहीं हो रहा है। अतः युनियन मांग करती है कि आवासों को तोड़े जाने से पूर्व नये आवासों की व्यवस्था किया जाए ।	प्रचलित पद्धतिनुसार रेल आवासों का निर्माण कर्मचारियों की संख्या या परित्यक्त आवास के बदले नए आवास का निर्माण कराया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे रेल आवास जो वर्तमान में कर्मचारी के अधिग्रहण में है और उसे परित्यक्त घोषित किया जा रहा है, को वैकल्पिक व्यवस्था के उपरांत ही खाली कराया जाये। यदि कोई रेल आवास खाली नहीं है तो ऐसे में जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर उक्त आवास को खाली कराया जा सकता है और कर्मचारी को अन्यत्र रहने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
16/23	बिना पूर्ण कार्य कराये नवनिर्मित आवासों में पूल आवंटन एवं कर्मचारियों को आवास आंवटन के संबंध में। नव निर्मित रेल आवासों में कार्य सम्पन्न होने से पूर्व ही पुल का आंवटन कर दिया गया एवं उक्त सभी आवास कर्मचारी को आवंटन भी कर दिया गया लेकिन आवास का कार्य पूर्ण नहीं है। उदाहरणस्वरूप - गोला रोड कालोनी, सोनपुर आवास सं0-365 एवं 346सी को देखा जा सकता है। जिसका फर्श का कार्य अपूर्ण है एवं आवास कर्मचारी को आवंटन कर दिया गया है। अतः यूनियन मांग करती है कि नवनिर्मित आवासों का कार्य जबतक पूर्ण नही हो तबतक कर्मचारी के नाम आंवटन नही किया जाय। अतः यूनियन मांग करती है कि आवासों को तोड़े जाने से पूर्व	ऐसे नवनिर्मित रेल आवास, जो रेल कर्मियों को आवंटित किया जा चुका है। लेकिन, उक्त रेल आवास का निर्माण/मरम्मत कार्य वास्तव में पूर्ण नहीं किया जा सका है, की जांच कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक एवं वेसइं (कार्य) की संयुक्त टीम से कराया जाए तथा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यह सर्वे बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करा लिया जाए।

	नए आवासों की व्यवस्था किया जाए ।	

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
17/23	गड़हरा के ईस्टन रेलवे कालाँनी में कई बर्षो से मरम्मत कार्य नही करवाया गया है तथा सभी आवास मे पानी स्टोरेज की समस्या है। सभी आवासों मे पानी स्टोरेज हेतु टंकी लगवाने हेतु एसोसिएशन अनुरोध करती है।	इस कार्य को संपन्न कराए जाने हेतु इसे प्लान हेड में रखा गया है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
18/23	सोनपुर मंडल के आवासों को मरम्मत होने लायक आवासों को मरम्मत कर विस्थापित हुए कर्मचारियों को आवंटित करने हेतु एसोसिएशन अनुरोध करती है।	कार्य प्रस्तावित है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
19/23	सरप्लस हुए कर्मचारी अगर अपना पूर्व का आवास रखने हेतु आवेदन देते हैं, तो उनके आवास को उनके नाम से आवंटित रहने दिया जाये।	विदित हो कि दिनांक 11.01.2023 को आयोजित मंडल आवास समिति की बैठक में यह पूर्व से निर्धारित है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण के उपरांत यदि कर्मचारियों का स्थानांतरण निर्धारित ब्लॉक के अंदर होता है तो वह पूर्ववर्ती रेल आवास को रिटेन कर सकता है। यदि, निर्धारित ब्लॉक के बाहर स्थानांतरण होता है, तो उन्हें नए कार्य स्थल पर रेल आवास के आवंटन हेतु आवेदन समर्पित करना चाहिए। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण निर्धारित ब्लॉक के बाहर होता है, और कर्मचारी अपने पूर्व कार्यस्थल पर आवंटित आवास को धारित रखता है और बाद में दुबारा उसका स्थानांतरण पुराने कार्य स्थल पर हो जाता है तो ऐसे मामलों में स्थानीय आवास समिति के द्वारा उनके पक्ष में प्राथमिकता के आधार पर पुन: उसी आवास के आवंटन पर निर्णय लिया जा सकता है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
20/23	सोनपुर मंडल के सभी कॉलोनियों के साफ-सफाई समय से नहीं हो रहा है, जिससे गंदगी चारों ओर फैल रहा है। एसोसिएशन अनुरोध करती है कि साफ-सफाई कराई जाये तथा इसकी रिपोर्ट मंडल आवास समिति को भी दी जाए। एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी जाए।	मरेप्र महोदय द्वारा कॉलोनियों की साफ-सफाई की सतत निगरानी हेतु प्रणाली विकसित की जा रही है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
21/23	कॉलोनी इंस्पेकशन ग्रुप में एसोसिएशन की	कॉलोनी इंस्पेशन ग्रुप के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा

	भागीदारी सुनिश्चित की जाए।	परिपत्रित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
22/23	शाखा स्तर पर समइं स्तर की बैठक कराने का निर्णय एसोसिएशन के वर्ष 2022 के अनौपचारिक बैठक में हुआ था। लेकिन मुजफ्फरपुर को छोड़कर कहीं भी बैठक नहीं कराया गया। शाखाओं द्वारा कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी बैठक नहीं कराया गया। कृपया बैठक कराने हेतु निर्देशित किया जाये।	चूंकि, यह मामला रेल आवास से संबंधित नहीं है। इसीलिए, बैठक में चर्चा नहीं की गई। वमइं (समन्वय) से यह अनुरोध किया गया कि कृपया इसे अपने स्तर से मामले को देखें।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
23/23	कॉलोनी केयर किमटी की बैठक सिर्फ सोनपुर में हो रही है। इसे पूरे मंडल में कराई जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान समय से हो सके।	प्रचलित पद्धतिनुसार सभी जगह कॉलोनी केयर कमिटी की बैठक कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
24/23	मंडल आवास समिति की बैठक में हुए निर्णयों को सभी पूल होल्डरों को भी अवगत कराया जाये, ताकि सभी पूल होल्डर को इसकी जानकारी हो सके।	कार्यवृत्त को सर्व संबंधित को प्रेषित की जाती है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
25/23	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वरीयता पंजिका पूरे मंडल में अलग-अलग बनाई जाए।	रेलवे बोर्ड के परिपत्रित प्रावधानों के अधीन रेल आवास से जुड़े मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वरीयता पंजिका का अलग से अनुरक्षण होना है। इस आशय के निर्देश का अनुपालान सुनिश्चित किया जाये।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
26/23	साउथ रेलवे कॉलोनी हाजीपुर में स्थित खाली टाइप-।। रेल आवास संख्या जीबीसी-6ए को साकेत कुमार निरीक्षक, रे0सु0ब0/पोस्ट हाजीपुर के पक्ष में आवंटन के संबंध में।	यह निर्णय लिया गया कि इस आवास को रेलवे सुरक्षा बल के पुल में स्थानांतरित किया जाए। सुरक्षा विभाग के द्वारा तद्नुसार उक्त रेल आवास का आवंटन प्राथमिकतानुसार संबंधित निरीक्षक के पक्ष में किया जा सकता है।

मद सं0	मद का विवरण	निर्णय
27/23	उच्च टाइप (टाइप-3) के लिए पात्र रेलवे कर्मचारी को उससे निम्न टाइप (टाइप-1 स्पेशल) के दो आवास आवंटित करने के संबंध में।	संबंधित संपदा अधिकारी से प्रकरण में आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करते हुए कर्मचारी के हकदारी के अनुसार दो आवास को मर्ज किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मंडल आवास समिति के द्वार सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जेनरल पुल के आवास के आवंटन, प्राथमिकता पंजिका का अनुरक्षण संबंधित कार्य अब से कार्मिक विभाग के क्वार्टर सेल के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस को क्वार्टर सेल के द्वारा सभी वसेइं(कार्य) से तीन महीने से अधिक खाली होने वाले आवास की सूची समर्पित की जाएगी। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर तक रेल आवास के आवंटन हेतु आई-पास मॉड्यूल्य में प्रदत्त प्रावधानों के अधीन डाटा फीडिंग सुनिश्चित किया जाए तथा 1 जनवरी 2024 से रेल आवासों का आवंटन आई-पास मॉड्यूल्य से प्रारंभ किया जाए।

YOGESH KUMAR
Digitally signed by YOGESH KUMAR
Date: 2023.12.26 18:14:22 +05'30'

(योगेश कुमार)
अमरेप्र-I/सोन

पत्र सं0: का/301/मंडल आवास समिति/सोन/10 दिनांक: /12/2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव/मरेप्र/सोन: मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अमरेप-।। को सादर सूचनार्थ।
3. सभी शाखाधिकारी, सोनपुर मंडल।
4. मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू, एआईएससीटीआरईए एसोसिएशन, सोनपुर मंडल।